5. एफ. ए. आर. 1.00 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर ।

6. एम.ओ. एस. निम्नानुसार है :—

सामने —12.00 मीटर पीछे — 6.0 मीटर आजू — 6.0 मीटर, बाजू - 6.0 मीटर

हेतु भूमि छोडना आवश्यक होगा ।

7. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानो के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

8. विधुत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

9. म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग / रूफवाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी ।

10. किसी भी प्रकार की भूमि वाद—विवाद होनें पर यह स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

11. इस अनुज्ञा को भू — स्वामित्व का दस्तावेज न समझा सके।

12. यह अधिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नही होगा।

13. प्रश्नाधीन भूमि /भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा/ अनुमति नगर पालिका रायसेन से प्राप्त की जाना होगा।

14. उपरौकम किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत् रिवोक कर दी जावेगी ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कायालय विदिशा

पृष्ठ कं./ 454-55 / विअ/नग्रानि/10

विदिशा दिनांक 23/3/11

प्रतिलिपि :—

1. अनुविभागीय अधिकारी , रायसेन की और कृपया सूचनार्थ !
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कायालय विदिशा